# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 12/2014 तारीख रजू:– 27.03.2014

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. बत्तू पुत्र श्री उम्मेद जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन– मृतक

| | |
|---|---|
| 1/1. बतरज बेवा बत्तू | समस्त जातियान गुर्जर निवासी गेंदूपुरा |
| 1/2. वीरसिंह पुत्र बत्तू | |
| 1/3. विमला पुत्री बत्तू | |
| 1/4. शीला पुत्री बत्तू | तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 |
| 1/5. गुड्डी पुत्री बत्तू | |
| 1/6. लक्ष्मी पुत्री बत्तू | |

2. रतनलाल पुत्र श्री उम्मेद जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. बसन्ता पुत्र श्री उम्मेद जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन ——मृतक

3/1. कुंवरसिंह दत्तक पुत्र बसन्ता जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

4. सिरमोहर पुत्र श्री उम्मेद जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
5. हुकमसिंह दत्तक पुत्र भम्बू जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
6. महाराज सिंह पुत्र श्री रामचरण जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायलान

## बनाम

1. रामधन पुत्र मुरली जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली
2. किशोरी पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन –मृतक

2/1. अतरसिंह पुत्र श्री किशोरी जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2/2. बदन पुत्र श्री किशारी जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2/3. मुखत्यार पुत्र श्री किशोरी जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2/4. लाडो पुत्री श्री किशोरी जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2/5. रूपबाई पुत्री श्री किशोरी जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

3. किल्ली पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. रामजीलाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन –मृतक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

| | |
|---|---|
| 4/1. अमरसिंह पुत्र स्व0 रामजीलाल | समस्त जातियान गुर्जर |
| 4/2. मानसिंह पुत्र स्व0 रामजीलाल | |
| 4/3. उदयराम पुत्र स्व0 रामजीलाल | निवासी गेंदूपुरा |
| 4/4. शिवदयाल उर्फ शिब्बा पुत्र स्व0 रामजीलाल | |
| 4/5. जनकसिंह पुत्र स्व0 रामजीलाल | तहसील हिण्डौन |
| 4/6. संतो पुत्री स्व0 रामजीलाल | |
| 4/7. बिजेन्द्र पुत्र स्व0 पाखण्डी | |
| 4/8. सुपीता पुत्री स्व0 पाखण्डी | जिला करौली राज0 |
| 4/9. मनीता पुत्री स्व0 पाखण्डी | |

5. प्यारे पुत्र हरमुख जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

6. सागरिया पुत्र मुरली जाति गुर्जर निवासी गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन –मृतक

| | |
|---|---|
| 6/1. बैजो बेवा सागरिया | |
| 6/2. घनश्याम पुत्र स्व0 सागरिया | समस्त जातियान गुर्जर, |
| 6/3. महेन्द्र पुत्र स्व0 सागरिया | निवासी गेंदूपुरा, |
| 6/4. नीकेश पुत्र स्व0 सागरिया | तहसील हिण्डौनसिटी |
| 6/5. मनोज पुत्री स्व0 सागरिया | जिला करौली राज0 |
| 6/6. मीका पुत्र स्व0 सागरिया | ——————————गैरसायलान |

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायलान
2. श्री महेश शर्मा एडवोकेट गैरसायलान

## निर्णय

दिनांक :– 14/08/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा माननीय अदालत में पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 59 ऐयर, 561 रकबा 12 ऐयर, 562 रकबा 12 ऐयर, 563 रकबा 29 ऐयर, 564 रकबा 42 ऐयर, 581 रकबा 27 ऐयर, 583 रकबा 30 ऐयर, 605 रकबा 72 ऐयर, कुल किता 8 कुल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 2.83 हैक्टेयर ग्राम गेंदूपुरा तह0 हिण्डौन जिला करौली राज0 में अब स्थित है। जिनका साविक खसरा नम्बरान 29 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 18 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 14 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ख0नं0 72 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा ग्राम गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजी वादग्रस्त सायलान व मूल वाद के प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 16 की पुश्तैनी जायदाद है, जिस पर सायलान व प्रतिवादीगण नं0 7 ता 16 बजमाने बुजुर्गान से काबिज एवम् दखील है, तथा वादग्रस्त आराजी के काश्तकार खातेदार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि सायलान एवम् मूल वाद के प्रतिवादीगण नं0 7 ता 16 ने अपनी सहमति से अपने हिस्से में आयी आराजीयात का आपस में बाहमी तौर पर बंटबारा कर रखा है, तथा अपने अपने हिस्से पर व जमाने बुजुर्गान से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, किसी अन्य का उक्त आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार का उक्त आराजीयात से नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि सायलान व मूल वाद के प्रतिवादीगण नं0 7 ता 16 की पुश्तैनी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर बजमाने बुजुर्गान से सायलान व मूल वाद के प्रतिवादीगण नं0 7 ता 16 काश्त करते चले आ रहे हैं, जो सायलान व मूल वाद के प्रतिवादीगण नं0 7 ता 16 की कब्जे काश्त की भूमि है, इस विवादग्रस्त भूमि के लगवा बगल में गैरसायलान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 466 स्थित है, जो सायलान की भूमि के सहारे है, सायलान की भूमि रास्ते के सहारे है, गैरसायलान की भूमि रास्ते से दूर है, गैरसायलान के मन में बदयांति आ गयी है, जिसे लट्ठ के बल पर हडपना चाहते हैं, अपने खेत की डौल को तोडकर सायलान के खेत को अपने खेत में मिलाना चाहते हैं, गैरसायलान ने सायलान द्वारा बोई गेहूं की फसल में खाद पानी नहीं देने दे रहे हैं, सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाने की कोशिश की आस पडौस के व्यक्तियों ने भी काफी समझाया कि भाईयों ये जमीन सायलान एवम् मूल वाद के प्रतिवादीगण नं0 7 ता 16 की पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है, तुम उक्त आराजीयात ख0नं0 467, 562, 561, 563 को अपनी जमीन में क्यों मिला रहे हो, इनकी डौल मेंढ को क्यों तोड रहे हो, लेकिन गैरसायलान सायलान की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है, झगडे की पूरी पूरी संभावना है, इसप्रकार सायलान गैरसायलान से आशांकित है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 25.01.2014 का है कि सायलान बत्तू आदि अपने खेतों की कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 467,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

561, 562, 563 पर फसल गेहूं की में पानी व खाद देने गये तो गैरसायलान मय हमराहियों के एक राय होकर लाठी, डण्डे, बन्दूक लेकर आ गये और सायलान को गाली गलौच देने लगे, और जान से मारने को आमादा हो गये तो सायलान ने गैरसायलान नं0 1 ता 6 को काफी समझाया और कहा कि भाईयों यह आराजी हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे खातेदारी की है, इसमें फसल को काश्त करने दो, ऐसा अन्याय क्यों करते हो, लेकिन गैरसायलान सायलान की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, तथा गैरसायलान ने ऐलानिया धमकी दी है कि हमने तो हमारा खेत काश्त कर लिया है, लेकिन तुम्हारे खेत में हम काश्त नहीं करने देंगे, हम डौल व मेढ को तोडकर अपनी खातेदारी के खेत ख0नं0 466 में मिला लेंगे, गैरसायलान के इरादे नेक नहीं है, इस कारण सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी. आई. पाबंद किया जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत है। यदि पाबंद नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि दोराने दावा गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 467, 561, 562, 563 कुल किता 4 कुल रकबा 1.12 हेक्टर में खातेदार काश्तकार सायलान व मूलवाद के प्रतिवादीगण सं. 7 ता 16 के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखल नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। सायलान बत्तू बगैराह को अजमाने बुजुर्गान से चली आ रही कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि में ना तो डोल मेड तोडे, ना ही अपने खेत खसरा नम्बर 466 में मिलाये, तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। ख0नं0 467, 561, 562, 563 पर कब्जा नहीं करे। एवम् सायलान को शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.05.2014 को गैरसायलान की ओर से श्री महेश शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 17.06.2014 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा पेश किया जाना स्वीकार है, शेष इबारत गलत होने के कारण अस्वीकार है। दावा हाजा में सायलान को सफलता का कोई चान्स नहीं होकर गैरसायलान की सफलता का पूरा पूरा चान्स है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में आराजीयात ग्राम गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 3 गलत होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में दर्ज पुश्तैनी जायदाद बताना गलत दर्ज किया है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया व सायलान के बुजुर्गान उम्मेद ने संवत 2007 से पूर्व आपसी सहमति से एवम् अपनी अपनी काश्त की सहूलियत के लिये एक बदल–पत्र जुबानी कर लिया था और उक्त बदल पत्र में खसरा नम्बर 466 नया जिसका पुराना खसरा नम्बर (विवादित भूमि) ग्राम गेंदूपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है उक्त खसरा नम्बर सायलान की भूमि से लगवा है, का बदला कर गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया ने सायलान के बुजुर्गान उम्मेद को दे दिया। एवम् सायलान ने बुजुर्गान उम्मेद ने अपनी खातेदारी का खसरा नम्बर साविका 18 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा ग्राम गेंदूपुरा गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया को दे दिया और वरवक्त बदला मौके पर कब्जा प्राप्ता कर लिया। तभी से गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया अपने जीवन काल में साविका खसरा नम्बर 18 व उसकी मृत्यु के बाद गैरसायलान साविका खसरा नम्बर 18 जिसके नये खसरा नम्बर 467, 562, 561, 563 ग्राम गेंदूपुरा पर वहैसियत मालिक खातेदार फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे है, और सायलान के बुर्जगान उमेद को बदले में दिया खसरा नम्बर नया 466 पर सायलान के बुजुर्गान उमेद व उसकी मृत्यु के बाद सायलान वहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र मद नं0 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। खसरा नम्बर साविका 18 जो सायलान के बुजुर्गान उमेद द्वारा गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया को बदले में दिया गया के अलावा शेष भूमि सायलान व गैरसायलान दावा में प्रतिवादीगण नं0 7 ता 16 पुश्तैनी भूमि होने के कारण आपसी सहमति व बंटवारा अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र मद नं0 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में दर्ज दि0 25.01.2014 को सायल बत्तू आदि खसरा नम्बर 467, 561, 562, 563 पर फसल गेहूं में पानी या खाद देने वाली बात कतई गलत काल्पनिक व मौके के विपरीत दर्ज की गयी है। जबकि सही बात यह है कि साविका खसरा नम्बर 18 ग्राम गेंदूपुरा सायलान के बुजुर्गान उम्मेद द्वारा गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया के द्वारा बदले में दिया गया से या उसके किसी भाग से सायलान का संवत 2007 के बाद कोई संबंध किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिती में दि0 25.01.2014 को सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर में खडी फसल में गेहूं में पानी व खाद देने गये तो

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

गैरसायलान बन्दूक लेकर आ गये, दर्ज किया है, जो गलत है, क्योंकि मौके पर संवत 2007 से पूर्व हुये बदल पत्र के अनुसार गैरसायलान उक्त चारों खसरा नंबरों पर अपने बुजुर्गान गिल्हारया के जमाने से व उसकी मृत्यु के बाद गैरसायलान वहैसियत मालिक काश्त करते चले आ रहे है, तो ऐसी स्थिति में ना तो सायलान का उक्त खसरा नंबरों पर जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, और ना ही गैरसायलान का इस मद में दर्ज धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है उक्त मद में सारी बातें सायलान ने मौके के विपरीत व काल्पनिक दर्ज की है, विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान को प्रार्थना–पत्र टी. आई. जारी नहीं करने से उन्हें हानि किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबंद करने से उनको अपूर्तनीय क्षति है, इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ना होकर गैरसायलान के पक्ष में है।

## उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि सायलान के बुजुर्गान उमेद व गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया की काश्तकारी की भूमि पास पास होने के कारण व खसरा नम्बर साविका 18 व खसरा नम्बर साविका विवादित भूमि जिसका नया नम्बर 466 बना है, जो नया खसरा नम्बर 466 ग्राम गेंदूपुरा है, का पूर्व खातेदार गैरसायलान का बुजुर्गान गिल्हारया थे और उक्त खसरा नम्बर से गैरसायल गिल्हारया ने सायलान के बुजुर्गान उमेद से जुवानी बदला कर लिया और उक्त बदल पत्र में गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया ने अपनी खातेदारी का खेत ख0नं0 466 रकबा 46 ऐयर नया वाके ग्राम गेंदूपुरा उक्त बदल पत्र में सायलान के बुजुर्गान उमेद को दे दिया व उक्त सायलान के बुजुर्ग उमेद ने अपनी खातेदारी का खेत साविका ख0नं0 18 जिसका नया ख0नं0 467, 561, 562, 563 ग्राम गेंदूपुरा गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया को दे दिया और उक्त बदल पत्र के अनुसार मौके पर सायलान व गैरसायलान के बुजुर्गान उमेद व गिल्हारया ने कब्जा प्राप्त कर लिया और उक्त बदल पत्र उक्त दोनों पक्षों के बुजुर्गान के मध्य संवत 2007 से हुआ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि जबाब प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 8 में दर्ज किया गया कथन के अनुसार रेवेन्यू रिकोर्ड जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में ख0नं0 साविका 18 की खातेदारी गिल्हारया, मुरली के नाम कब्जे के मुताबिक दर्ज हो गयी और संवत 2019 के बाद सायलान के बुजुर्गान उमेद ने बसाज पटवारी व रेवेन्यू अधिकारी कर्मचारीगण, गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया व मुरली के नाम दर्ज की गयी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदारी को हजफ कराकर सायलान के बुजुर्गान उमेद ने अपने नाम दर्ज करा ली परन्तु रेवेन्यू रिकोर्ड गिरदावरी में संवत 2018 लगायत 2015 में विशेष विवरण काश्त खाना में गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया पुत्र सुगन, व करना पुत्र कंचन एवम् संवत 2017 में गिल्हारया हिस्सा 1/2 व सायलान के बुजुर्गान हिस्सा 1/2 और इसी प्रकार गिरदावरी संवत 2020 से 2023 में काश्त के खाने में गिल्हारया 1/2 व उमेद 1/2 दर्ज है, जिससे भी यह स्पष्ट साबित होता है कि साविका खसरा नम्बर 18 जिसके भी यह स्पष्ट साबित होता है कि साविका खसरा नम्बर 18 जिसके नये खसरा नम्बर 467, 561, 562, 563 ग्राम गेंदूपुरा तह0 हिण्डौन का संवत 2007 से पूर्व जुवानी बदल पत्र द्वारा सायलान के बुजुर्गान उमेद ने गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया को दिया है एवम् गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया लाऔलादफौत होने के कारण उक्त गिल्हारया के मृत्यु के बाद उसके सगे भाई नारायण, हरमुख सिरिया बदल पत्र द्वारा आयी विवादित भूमि पर वहैसियत मालिक काबिज होकर फसल दर फसल बिना किसी रोक टोक के काश्त करते चले आ रहे है एवम् उक्त भूमि में दोनों फसले पैदा होती है, और इस प्रकार फसल उन्हालू में फसल बाजरा व फसज स्यालू में फसल गेहूं गैरसायलान जमाना बुजुर्गान से विवादित भूमि में काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु गत वर्ष ओलावृष्टि होने के कारण विवादित भूमि में काश्त नहीं की जा सकती और उक्त भूमि मौके पर खाली पडी हुयी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि ग्रामों में विद्युतीकरण होने के कारण व आम व्यात महगाई के कारण कृषि भूमि की कीमतें दिनों दिन दुगनी व चौगनी होती जा रही है, और मौके पर साविक ख0नं0 18 जिसके नये नंबर 467, 561, 562, 563 है, ग्राम गेंदूपुरा की अत्यधिक कीमत हो जाने के कारण सायलान की नीयत बदयांती वाके हो गयी है, और सायलान अपने लट्ठ की ताकत पर गैरसायलान के बुजुर्गान द्वारा बदले में ली गयी विवादित भूमि से गैरसायलान को लट्ठ की ताकत से बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते हैं और विवादित भूमि को गैरसायलान से हडपने के लिये सायलान ने मौके के विपरीत व बिना कब्जे का श्रीमानजी के यहॉ उक्त उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर दिये है जो खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि सायलान सम्मानीय अदालत में क्लीन हैण्ड्स से नहीं आये हैं, और मौके पर विवादित भूमि पर गैरसायलान का संवत 2007 से पूर्व से वहैसियत मालिक कब्जा काश्त होने के कारण गैरसायलान के विरूद्ध बेदखली की रिलीफ नही चाही गयी है और इस प्रकार सायलान कब्जे के अभाव में गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि सायलान ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में मौके के विपरीत व मनगढन्त व काल्पनिक तथ्य दर्ज कर दिये हैं एवम् उक्त मुकदमा के दबाब में सायलान गैरसायलान से उनके बुजुर्गान गिल्हारया के हक में बदल पत्र से आयी विवादित भूमि को जबरन छीनकर बेदखल कर सायलान स्वंय कब्जा करना चाहते है और कब्जे के अभाव में सायलान का प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि यह है कि सायलान का प्रार्थना–पत्र कानूनन मेन्टेनेवलि नहीं है खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2028–2031 किता 2 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 0.59 है0, 561 रकबा 0.12 है0, 562 रकबा 0.12 है0, 563 रकबा 0.29 है0, 564 रकबा 0.42 है0, 581 रकबा 0.27 है0, 583 रकबा 0.30 है0, 605 रकबा 0.72 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामचरण बत्तू रामलाल बसन्ता सिरमोर पि0 उम्मेद सरवती भगवन्ती बेबा उम्मेद हि0ब0हि0 7/8, हुकमसिंह दत्तक पुत्र भम्बू हि0 1/8 जाति गूजर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 52 दिनांक 20.10.2010 –विरासत से सरवती भगवती के बजाय किस्तूरी असरफी फौंदी मलाको पुत्रियॉ उम्मेद रामचरण बत्तू रतनलाल बसन्ता पि0 उम्मेद के राम हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 53 दिनांक 20.10.2010 बेचान से रतनलाल हि0 1/8 के बजाय जगदीश पुत्र भगवत गूजर के नाम हुआ तथा नोट नामान्तकरण स0 66 दिनांक 20.04.2011 हकत्याग से फोदी मलाको हि0 1/13 के बजाय बत्तू हि0 2/54

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

बसन्ता हि0 1/54 पि0 उम्मेद के नाम हुआ इस प्रकार बत्तू बसन्ता व हुकम का हि0 1/2 हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान ने नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

| साबिक खसरा नं0 | रकबा | हाल खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर में |
|---|---|---|---|
| 29 | 2 बीघा 4 बिस्वा | 467 | 0.59 |
| 18 मिन | 3 बीघा 9 बिस्वा | 561 | 0.12 |
| 18 मिन | — | 562 | 0.12 |
| 18 मिन | — | 563 | 0.29 |
| 18 मिन | — | 564 | 0.42 |
| 14 | 1 बीघा 2 बिस्वा | 581 | 0.27 |
| 16 | 1 बीघा 5 बिस्वा | 583 | 0.30 |
| 72 | 2 बीघा 14 बिस्वा | 605 | 0.72 |

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदवरी सं0 2028–31 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 29 में उम्मेद वगैराह के द्वारा काश्त किया जाना अंकित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 0.59 है0, 561 रकबा 0.12 है0, 562 रकबा 0.12 है0, 563 रकबा 0.29 है0, 564 रकबा 0.42 है0, 581 रकबा 0.27 है0, 583 रकबा 0.30 है0, 605 रकबा 0.72 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामचरण बत्तू रामलाल बसन्ता सिरमोर पि0 उम्मेद सरवती भगवन्ती बेबा उम्मेद हि0ब0हि0 7/8, हुकमसिंह दत्तक पुत्र भम्बू हि0 1/8 जाति गूजर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 52 दिनांक 20.10.2010 –विरासत से सरवती भगवती के बजाय किस्तूरी असरफी फौंदी मलाको पुत्रियॉ उम्मेद रामचरण बत्तू रतनलाल बसन्ता पि0 उम्मेद के राम हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 53 दिनांक 20.10.2010 बेचान से रतनलाल हि0 1/8 के बजाय जगदीश पुत्र भगवत गूजर के नाम हुआ तथा नोट नामान्तकरण स0 66 दिनांक 20. 04.2011 हकत्याग से फोदी मलाको हि0 1/13 के बजाय बत्तू हि0 2/54 बसन्ता हि0 1/54 पि0 उम्मेद के नाम हुआ इस प्रकार बत्तू बसन्ता व हुकम का हि0 1/2 हुआ दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 467 रकबा 0.59 है0, 561 रकबा 0.12 है0, 562 रकबा 0.12 है0, 563 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा का गैरसायलान के बुजुर्गान गिल्हारया व सायलान के बुजुर्गान उम्मेद ने सम्बत् 2007 में आपसी सहमति से अपनी अपनी काश्त की सहूलियत की दृष्टि से एक बदल–पत्र जुवानी कर लिया और उक्त भूमि पर सायलान का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर नहीं होकर हाल खसरा नम्बर 466 पर सायलान का कब्जा काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

खसरा नम्बर 467 रकबा 0.59 है0, 561 रकबा 0.12 है0, 562 रकबा 0.12 है0, 563 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन के सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण एवं गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं होने के कारण गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी साबित हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 0.59 है0, 561 रकबा 0.12 है0, 562 रकबा 0.12 है0, 563 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन के खातेदार काश्तकार सायलान व मूलवाद के प्रतिवादीगण सं. 7 ता 16 के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखल नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। उक्त कृषि भूमि में ना तो डोल मेड तोडे, ना ही अपने खेत खसरा नम्बर 466 में मिलाये तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। ख0नं0 467, 561, 562, 563 पर कब्जा नहीं करे एवम् सायलान को शांति पूर्वक काश्त करने देवे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 14/8/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( हेमराज गुर्जर )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली